



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2018/ज्येष्ठ 14, 1940

No. 06]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4 2018/JYAISTHA 14, 1940

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

**का.नि.आ. 07(अ).**—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसका यह समाधान हो जाने पर कि खासयोल छावनी के प्रशासन के लिए, जहां परिवर्तित बोर्ड की अवधि 5 जून 2018 को समाप्त हो जाएगी, परिवर्तित खासयोल छावनी बोर्ड के गठन को बनाए रखना वांछनीय है, उक्त बोर्ड की अवधि 6 जून, 2018 से 5 जून, 2019 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाने की घोषणा करती है।

[फा. सं. 14(2)/2012-डी(क्यू एंड सी)/वाँल-II]

जयंत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2018

**S.R.O. 07(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) and sub-section (4) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, on being satisfied that for the administration of the Khasyol Cantonment, where the term of the varied Board shall expire on 5<sup>th</sup> June, 2018, it is desirable to keep the constitution of the Khasyol Cantonment Board varied, hereby makes a declaration to

extend the term of office of the said Board for a further period of one year from the 6<sup>th</sup> June, 2018 to the 5<sup>th</sup> June, 2019 or until further orders, whichever is earlier.

[F.No. 14(2)/2012-D(Q&C)/Vol-II]

JAYANT SINHA, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

**का.नि.आ. 08(अ).**—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि पचमढी छावनी के प्रशासन के लिए, जहाँ परिवर्तित बोर्ड की अवधि 30 जून, 2018 को समाप्त हो जाएगी, परिवर्तित पचमढी छावनी बोर्ड के गठन को बनाए रखना वांछनीय है, उक्त बोर्ड की अवधि को 1 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की और अवधि के लिए या बोर्ड के गठन होने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाने की घोषणा करती है।

[फा.सं. 14(2)/2012-डी(क्यू एंड सी)/पीसी-IV]

जयंत सिन्हा, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2018

**S.R.O. 08(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) and sub-section (4) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, on being satisfied that for the administration of the Pachmarhi Cantonment, where the term of the varied Board shall expire on 30<sup>th</sup> June, 2018, it is desirable to keep the constitution of the Pachmarhi Cantonment Board varied, hereby makes a declaration to extend the term of office of the said Board for a further period from the 1<sup>st</sup> July, 2018 to the 31<sup>st</sup> December, 2018 or till the date of constitution of the Board, whichever is earlier.

[F.No. 14(2)/2012-D(Q&C)/Vol-IV]

JAYANT SINHA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

**का.नि.आ. 09(अ).**—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 जुलाई, 2018 (रविवार) को ऐसी तारीख के रूप में निर्देशित करती है जिसको पचमढी छावनी परिषद के साधारण निर्वाचन किये जाएंगे।

[फा.सं. 14(2)/2012-डी(क्यू एंड सी)/पीसी-IV]

जयंत सिन्हा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th June, 2018

**S.R.O. 09(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby directs the 22<sup>nd</sup> July, 2018 (Sunday) as the date on which General Elections to Cantonment Board, Pachmarhi shall be held.

[F.No. 14(2)/2012-D(Q&amp;C)/PC-IV]

JAYANT SINHA, Jt. Secy.